भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

विषय: समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतीकरण-14-दिसंबर-2020

जल संसाधन विकास एवं सम्बद्ध विषयों से संबन्धित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है . इसकी साफ्ट कापी केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.

संलग्नक: उपरोक्त

(-/sd)

सहायक निदेशक

उप निदेशक(-/sd)

निदेशक (-/sd)

सेवा में

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

जानकारी हेतु: सभी संबन्धित केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट http://cwc.gov.in/news-clippingपरदेखें

Deccan chronicle-14- December 2020

CM told to stop works on 7 dams

Clearance only after appraisal by GRMB, CWC and Apex Council: Centre

DC CORRESPONDENT
KARIMNAGAR, DEC. 13

Union Jal Shakti minister Gajendra Singh Shekhawat has asked Chief Minister K. Chandrashekar Rao not to proceed with the construction of seven irrigation projects that are being objected by Andhra Pradesh unless and until the mandatory appraisal is done by Godavari River Management Board (GRMB), Central Water Commission (CWC) and the Apex Council.

The Union minister was replying to Rao's October 2 letter outlining various issues of Telangana state pertaining to share and utilisation of waters in Krishna and Godavari rivers. He reminded that during the Second Apex Council meeting of the Jal Shakti Ministry, Chief Ministers of TS and AP agreed to submit DPRS of their respective irrigation projects for approval of the concerned wings of the ministry.

Shekhawat pointed out that as per the AP Reorganisation Act 2014, both states were bound to submit DPRs of new projects to the KRMB for appraisal and technical clearance and sanction by the Apex Council.

He said, "The opinion of the ministry is that any irrigation and/or multipurpose project, whether mentioned or not in Krishna Water Disputes Tribunal-I and/or APRA-2014 unless tech no-economically appraised by the CWC and accepted by the Advisory Committee of the DoWR, RD&GR, ministry of Jal Shakti, should be considered as new project for the purpose of appraisal, irrespective of the fact

● UNION MINISTER Gajendra Singh Shekhawat was replying to Rao's October 2 letter outlining various issues of Telangana state pertaining to share and utilisation of waters in Krishna and Godavari rivers.

whether it was conceived before or after bifurcation of erstwhile Andhra Pradesh."

He said those projects which have been techno-economically appraised by the CWC and accepted by the Advisory Committee of the DoWR, RD&GR, ministry of Jal Shakti, will also be considered as new projects for the purpose of appraisal in case there is change in scope.

He said that his ministry's stand is clear on this aspect that neither TS nor AP can go ahead with projects, including Rayalaseema Lift Irrigation Scheme and Pothireddypadu Head Regulator expansion scheme by AP and Third TMC component of Kaleshwaram LIS, Sitarama LIS. GUS Phase-Ill, Tupa-kulagudem project, TS drinking water supply project, barrages on Lower Penganga River and Ramappa Lake to Pakhal Lake diversion.

Referring to Rao's complaint over non-installation of telemetry systems by the KRMB, the Union minister made it clear that during the first meeting of the Apex Council both state governments had agreed that both states would have to equally meet the costs of setting them up. He pointed out that even after repeated reminders and requests from the KRMB, neither state responded and have not paid their full share of expenditure due to which the installation of telemetry was not completely done.

He said, "If the states clear their pending payments, the KRMB would immediately get them installed and can do the required monitoring."

Referring to the demand of the TS government to constitute a tribunal to decide water shares of TS and AP in Godavari waters, Shekhawat pointed out, "You (Rao) agreed in the meeting to send a request immediately to the Union government for constituting a tribunal in this regard. As decided in the meeting, our ministry will take a positive decision in this regard after receiving the request from you."

Jansatta-14 December 2020

परिवर्तित जलवायु

जलवायु परिवर्तन से पैदा परेशानियों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। हर साल इसकी समीक्षा बैठक होती है। हर बार कार्बन उत्सर्जन में कटौती के संकल्प दोहराए जाते हैं। पांच साल पहले पेरिस समझौते में कुछ कठोर फैसले किए गए थे, जिस पर दुनिया के एक सौ छियानबे देशों ने हस्ताक्षर किए। उस समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए तय किए गए पैमाने बाध्यकारी कानून हैं। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि 2030-35 तक कार्बन उत्सर्जन में तीस से पैंतीस फीसद की कटौती की जाएगी। मगर स्थिति यह है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ते और उन पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दबाव तो बनाते रहते हैं, पर वे खुद इस दिशा में संतोषजनक कदम नहीं उठाते। इसे लेकर भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर की चिंता स्वाभाविक है। पेरिस जलवायु समझौते के पांच साल पूरे होने पर उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के नतीजों की समीक्षा पेश की। इस मामले में उन्होंने भारत को अग्रणी जी-20 देश बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं, पर वे अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे।

वैश्विक तापमान के लगातार बढ़ते जाने और मौसम का मिजाज गड़बड़ाने से पूरी दुनिया की आबोहवा पर बुरा असर पड़ा है। इसके चलते जीवन शैली संबंधी अनेक बीमारियां पैदा हुई हैं। खेती-किसानी वानिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह वनों का लगातार कटना और प्रौद्योगिकी का अतार्किक फैलाव है। विकसित देश में कल-कारखानों से निकलने वाले कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वैश्विक उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी तीस फीसद, अमेरिका की 13.5 और ब्रिटेन की 8.7 प्रतिशत है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब वैश्विक तापमान में चार फीसद वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, चिले, सिंगापुर, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात चार फीसद से अधिक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। मगर इन देशों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर कोई गंभीर पहल नजर नहीं आती। इनकी तुलना में भारत की हिस्सेदारी 6.8 फीसद है, जिसमें से वह पिछले पांच सालों में करीब इक्कीस फीसद की कटौती कर चुका है और उसे भरोसा है कि 2030 तक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। हकीकत यह भी है कि विकसित देशों में इसे लेकर जहां शिथिलता दिखाई दे रही है, वहीं विकासशील और अविकसित देश इसके प्रति गंभीर नजर आते हैं।

अमेरिका शुरू से अपने यहां कार्बन उत्सर्जन में कटौती से कन्नी काटता रहा है, जिसे लेकर उस पर लगातार अंगुलियां उठती रही हैं। कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अर्थ है कि इन देशों को अपने यहां की प्रौद्योगिकी गतिविधियों पर भी लगाम लगानी पड़ेगी, जो कि वे करना नहीं चाहते। प्रौद्योगिकी गतिविधियों में कटौती का अर्थ है विकास की रफ्तार कम हो जाना। जाहिर है, इससे उनका आर्थिक बल कम पड़ जाएगा। इसलिए अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन जैसे विकसित देश इस समझौते को मानने से बचते रहते हैं। यही नहीं, पेरिस समझौते में शर्त है कि विकसित देश, विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौ अरब डॉलर की वित्तीय मदद और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करेंगे। मगर इस मामले में भी वे शिथिल बने हुए हैं। विचित्र है कि पूरी दुनिया पर दबाव बना कर वैश्विक समस्याओं के समाधान को तत्पर दिखने वाले ये देश खुद अपने कचरे से दूसरे देशों का दम घोंटने से बाज नहीं आ रहे।

Haribhoomi- 14 December 2020

यमुना में बढ़ी अमोनिया की मात्रा, शोधन प्रभावित होने से रहेगी पानी की किल्लत

हरिभूमि न्यूज, नई दिल्ली। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से जल बोर्ड के जल शोधन संयंत्रों पर प्रभाव पड़ा है। जिसके चलते उत्पादन कम होने से अगले दो दिनों तक कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। जल बोर्ड के अनुसार हरियाणा द्वारा यमुना नदी में छोड़े जा रहे कच्चे पानी में अमोनिया की मात्रा तय सीमा से अधिक है। जिसके चलते रविवार से कई संयंत्रों में जल शोधन बेहद कम हो जाएगा। जिसकी वजह से रविवार और सोमवार को दिल्ली के अनेक इलाकों में जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। जिसमें पश्चिम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली कैंट सहित नई दिल्ली पालिका परिषद क्षेत्र शामिल है। जल बोर्ड इन सभी इलाकों के उपभोक्ताओं से अपील करता है कि जरूरत के अनुसार पहले ही पानी भरकर रख लें। जरूरत होने पर अपने स्थानीय जल बोर्ड कार्यालयों से निशुल्क पानी के टैंकर मंगवाए जा सकते है।

Rastriya Sahara-14 December 2020

जलवायु परिवर्तन : 100 साल की गतिविधियां जिम्मेदार

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

केंद्र सरकार का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए 100 वर्षों की आर्थिक गतिविधियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, भारत ने जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयास किए हैं।

पेरिस समझौता के 5 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवोधित करेंगे। पेरिस समझौते के वावत वुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन रात भर की घटना नहीं है। इस स्थिति तक पहुंचने में 100 साल लगे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से दुनिया के प्रमुख राष्ट्र ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वातावरण को प्रदूषित करने वाले कुल गैस में से सवसे ज्यादा उत्सर्जन अमरीका करता है।

■ पेरिस समझौते की पांचवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे सम्मेलन को

भारत ने उत्सर्जन कम करने के 33.35 में से लक्ष्य का 21% प्राप्त कर लिया है

अकेले अमरीका दुनिया के कुल प्रदूषण में से 25 फीसदी का उत्सर्जन करता है। इसमें यूरोपीय देशों की सहभागिता 22 प्रतिशत है। जवकि चीन 13 प्रतिशत गैस उत्सर्जित करता है। भारत केवल 3 प्रतिशत गैस का उत्सर्जन करता है। इसलिए भारत जलवायु परिवर्तन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं।

भारत दुनिया का एक जिम्मेदार राष्ट्र होने और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम को नियंत्रित करने में अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार हमारी उत्सर्जन तीव्रता 33.35 फीसदी तक तक कम होनी थी। हमने इसका 21 फीसदी गैस का उत्सर्जन कम कर लिया है। शेष लक्ष्य को हम आगामी 10 वर्षों में हासिल कर लेंगे।

File No.T-74074/10/2019-WSE DTE

Rastriya Sahara-14 December 2020

यमुना में अमोनिया बढ़ी, आज व कल प्रभावित रहेगी जलापूर्ति

नई दिल्ली (एसएनबी)। वज़ीरावाद तालाव में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर वढ़ गया है। साथ ही नदी में पानी का लेवल कम हो रहा है। इसके कारण जलशोधन संयंत्रों में जलशोधन कम हो गया है। लिहाज़ा रविवार और सोमवार की सुवह जलापूर्ति कम दवाव पर उपलब्ध होने की संभावना है। इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पश्चिम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के हिस्से शामिल हैं। इनमें दिल्ली कैंट और एनडीएमसी क्षेत्र भी शामिल है। दिल्ली जल वोर्ड ने जनता को सलाह दी है कि वे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें। पानी के टैंकरों के लिए टेलीफोन नंवर पर पानी की आपात स्थिति से संपर्क करने की सलाह दी है। इन नंवरों में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष- 1916, 23527679, 23634469, चंद्रावल- 23810930, ग्रेटर कैलाश- 29234746, 29234747, ईदगाह- 23537397, 23677129, पंजावी वाग- 25223658, वुराड़ी- 27619244, 27617609, केवल पार्क- 27677877, 27681578, आईपी स्टेशन- 23370911, 23378761 और आरकेपुरम - 26193218 शामिल है।

Rastriya Sahara-14 December 2020

यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आज

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वोर्ड वैठक सोमवार को होगी। प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में होने वाली वैठक में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। वोर्ड में जमीनों का मुआवजा वढ़ाने, ट्रामा सेंटर के लिए जमीन देने समेत कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। ऐसे में किसानों के लिए यह वैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वोर्ड वैठक में औद्योगिक सेक्टरों के लिए शून्यकाल का लाभ देने आदि प्रस्तावों पर मुहर लग जाएगी। वैठक में जमीन की मुआवजा दर वढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ज्ञात हो अभी किसानों को 1800 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाव से मुआवजा दिया जाता है। इसे वढ़ाकर 2300 रुपए प्रति वर्गमीटर देने की तैयारी है। यही मुआवजा दर जेवर एयरपोर्ट परियोजना से प्रभावित किसानों को मिली है।

वोर्ड वैठक में औद्योगिक सेक्टरों के लिए शून्यकाल का लाभ मिल सकता है,जिन सेक्टरों में आवंटियों को कव्जा नहीं मिल पाया है या कोई और कारण से औद्योगिक इकाइयों का निर्माण नहीं शुरू हुआ है, वहां यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित ट्रामा सेंटर के लिए निःशुल्क जमीन देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। ट्रामा सेंटर के साथ 100 वेड का अस्पताल भी प्रस्तावित है। प्रस्ताव पास होने के वाद इसे शासन को भेज दिया जाएगा। वैठक में लॉजिस्टिक पार्क, हेरिटेज सिटी, पुलिस थाने और मास्टर प्लान संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा भी कई और प्रस्ताव रखे जाएंगे।